

पपक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिविहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एस0टी0/एन0ओ0सी0/1622-29/2013-14 दिनांक: 27-06-2013

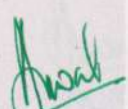
अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

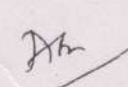
महोदय,

उपरोक्त विषयक संज्ञा संख्या-1916(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक: 14-07-2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 26-06-2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल सिविल लाइन्स ताला नगरी अलीगढ़ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

प्रतिबन्ध-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वायलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टाचार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें कनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय में अग्नि शमन पत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम में हो तो विद्यालय के नाम कराये।
10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।
11. लक्ष्य शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।


PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH


MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

Am 24.6.13
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़

भवदीय,
कृष्ण
(टी० वेंकटेश)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

कार्यालय- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़

पुष्टीकरण संख्या: एस०टी०/एन०ओ०सी०/18-29/2013-14 तद दिनोंक
प्रतिलिपि- निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र०शासन, शिक्षा-7 अनुभाग लखनऊ।
- 2-मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
- 3-शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, 18 पार्क रोड लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी अलीगढ़।
- 5-जिला विधालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 6-प्रबन्धक, सम्बन्धित विधालय।
- 7-गार्ड फाइल हेतु।

Dr 24-6.13
डा० (अंजना गोयल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

Princal
PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH